# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 16/504

चौथमल आत्मज किशना जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. भवानी शंकर
2. शोजी
3. नेसर पिसरान चौथमल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. अंजना पत्नी चौथमल जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भूली पुत्री चौथमल पत्नी रामसागर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कंचन पुत्री चौथमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. दुर्गाशंकर आत्मज किशना जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामसागर
3. रामस्वरूप
4. गोमदा पिसरान राम कुमार जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. श्रीमती जगन्नाथी बाई पुत्री रामकुमार पुत्री प्रभूलाल ज़ाति गुर्जर निवासी ग्राम समरावता तहसील उनियारा जिला टोंक ।
6. श्रीमती गीताबाई पत्नी राम कुमार जाति गुज्जर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

## अपील संख्या : 16/505

चौथमल आत्मज किशना जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. भवानी शंकर
2. शोजी
3. नेसर पिसरान चौथमल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
4. अंजना पत्नी चौथमल जाति गुर्जर निवासी देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. भूली पुत्री चौथमल पत्नी रामसागर जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. कंचन पुत्री चौथमल जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

## बनाम

1. दुर्गाशंकर आत्मज किशना जाति गुर्जर निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

## निर्णय

दिनांकः 16.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध होने तथा वादग्रस्त आराजी एक ही होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 दुर्गाशंकर ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 27/90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी में कुल 19 किता की रकबा 35 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में जिसमें खसरा नम्बर 2633 में चाह स्थित है । प्रतिवादीगण वादी की उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा हैं जबकि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिवादीगण को वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में अनुचित हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

4. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त आराजी पर वादीगण के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त आराजी पर जबरन बलपूर्वक कब्जा नहीं करें । यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लें तो उक्त आराजी से उन्हें बेदखल कर कब्जा वापस वादीगण को दिलाया जावे । वाद व्यय 1000/– रूपये वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

5. इसी प्रकार एक अन्य वाद संख्या 86/90 चौथमल बनाम दुर्गाशंकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एंव 188 के अन्तर्गत वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की भूमि भूमि है जिसमें वादी चौथमल का 1/2

हिस्सा निहित है और वह उक्त भूमि पर अपने हिस्से का विधिवत विभाजन कराने का अधिकारी है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों का समेकित करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2003 के द्वारा दोनों वादों का खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 28.02.2003 के विरूद्ध अपीलान्टगण ने दो अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में प्रस्तुत की जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2008 के द्वारा दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया ।

7. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2008 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए अपने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 के द्वारा वाद संख्या 27/90 स्वीकार करते हुए वाद संख्या 86/90 खारिज कर दिया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अलग–अलग अपील पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट दुर्गाशंकर ने अपीलान्ट के पिता चौथमल व रस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 के विरूद्ध एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि वादग्रसत आराजी कुल 19 किता 35 बीघा 19 बिस्वा आराजी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी में स्थित है जिस पर वादी खातेदार एवं काबिज काश्त है जिस पर प्रतिवादी जबरन कब्जा करने पर आमादा है इसलिए उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावे में रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 6 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर काफी समय से प्रतिवादी चौथमल का कब्जा है । आराजी पूर्व खातेदार किशना जी के खाते में दर्ज थी और चौथमल उनका बडा पुत्र था । उन्होंने अपने पिता के साथ इस आराजी को आवाद किया था और काबिल काश्त बनाया था । वादी दुर्गाशंकर ने फर्जी एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत वसयीतनामा तैयार करवाकर आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जो अवैध है । किशना जी को सम्पूर्ण आराजी की वसीयत करने का अधिकार नहीं था । किशना जी की मृत्यु के समय उनकी पत्नी हीराबाई जीवित थी । काबिज व्यक्ति के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पोषनीय नहीं है। दुर्गाशंकर के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी, बून्दी के यहां विचाराधीन है । वादी रेस्पोडेन्ट दुर्गाशंकर ने दिनांक 04.11.1988 को ग्राम देई में पंचों की मीटिंग में लिखित राजीनामा अपने हस्ताक्षर से किया था

जिससे सभी पाबन्द हैं । वसीयत कानून के अनुसार प्रमाणित नहीं है । राजस्व न्यायालय को वसीयत की वैधानिकता पर निर्णय करने का अधिकार नहीं है । वसीयतनामे को पंजीकृत होने के आधार पर प्रमाणित मान लिया है जो विधि – विरूद्ध है । वसीयत निष्पादक हस्ताक्षर करना जानते थे जबकि अंगूठा अंकित किया गया है । अपीलीय न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में जो निर्देश प्रदान किये गये हैं उनकी अधीनस्थ न्यायालय ने पालना नहीं की है । किशना जी ने अपने एक पुत्र को भूमि से वंचित क्यों किया इस बाबत् कोई परस्थितिजन्य साक्ष्य भी पेश नहीं हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी अपीलान्ट का कब्जा मानते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, तनकी कायम किये बिना, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया है जो अवैध है । अपीलान्ट का दावा धारा 10 सीपीसी के तहत स्थागित रखा गया । अपीलान्ट के दावे चौथमल बनाम दुर्गाशंकर धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 95/08 के भी बिना विचारण किये इस निर्णय के साथ खारिज किया है। पक्षकारों के मध्य जो राजीनामा हुआ था उस पर न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है । वसीयत के गवाह पेश नहीं हुए हैं । वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है । वादी स्वयं वादग्रस्त आराजी पर दावा दायरी के पूर्व अपीलान्ट का कब्जा मानते हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 28.09.2016 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 1998 पेज 500, 1998 आरबीजे पेज 610, आरआरडी 1993 पेज 504, एआईआर 1971 (एससी) पेज 1962, आरआरडी 2019 पेज 09, 1993 (1)आरएलआर पेज 259, एआईआर 2006 पेज 200 उद्धरत की ।

11. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को समेकित किया और दोनों दावों का एक साथ निर्णय पारित किया है । समेकित तनकीयात कायम की गई जिन पर निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेन्ट वादी के पक्ष में उनके पिता ने वसीयत निष्पादित की है जो कि पंजीकृत है । वसीयत के गवाह भूरा न्यायालय में पेश हुए हैं । वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार प्रमाणित है । पिता को अपने पुत्र के पक्ष में वसीयत करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि वादग्रस्त आराजी उनके तन्हा खाते में दर्ज थी । वसीयत को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता । न्यायालय धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बिना तनकी कायम किये भी न्यायालय सहायता प्रदान कर सकते हैं क्योंकि पक्षकारान के मध्य वाद सन् 1990 से चल रहा है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में 1990 आरआरडी पेज 691, 1966 आईएलआर (राज0) पेज 1216, 1978 आरआरडी पेज 217, एआईआर 2006 (राज0) पेज 200, आरआरडी 2015 पेज 730, आरएलडब्ल्यू 2007 (1) पेज 636, 1986 आरआरडी पेज 262, एआईआर 1952 पेज 52, एआईआर 1983 (एससी) पेज 114, एआईआर 1991 (एससी) पेज 1041, 2008 (2) आरएलडब्ल्यू पेज 1140, 2007 (1) आरएलडब्ल्यू पेज 961 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी दुर्गाशंकर के द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया और एक अन्य दावा चौथमल के द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया ।

13. वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रदर्श– 1 असल वसीयत पेश की है, प्रदर्श– 2 नकल जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है। नामान्तरकरण संख्या 1594 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है जिसके अनुसार वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी दुर्गाशंकर के नाम 1986 में दर्ज की गई है । खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 4 पेश की गई है ।

14. प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रदर्श– ए–1 एफआईआर की प्रति प्रदर्श– ए–2 एफआर की प्रति पेश की है ।

15. बयानों में वादी द्वारा दुर्गाशंकर पीडब्ल्यू– 1, पैमा पीडब्ल्यू–2, शिवलाल पीडब्ल्यू–3 एवं भूरा पीडब्ल्यू– 4 कराये गये हैं ।

16. प्रतिवादी द्वारा बयान चौथमल डीडब्ल्यू–1, महावीर प्रसाद डीडब्ल्यू–2, खाना डीडब्ल्यू–3, राधेश्याम डीडब्ल्यू–4, चन्दा डीडब्ल्यू–5, मांगीलाल डीडब्ल्यू–6 कराये गये हैं ।

17. अधीनस्थ न्यायालय में वादी दुर्गाशंकर जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवादी चौथमल के द्वारा एक अन्य दावा विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया है । यद्यपि निर्णय दोनों दावों का एक साथ पारित किया गया है परन्तु दूसरे दावे की पत्रावली इस पत्रावली के साथ नत्थी नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का दावा स्वीकार करते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2012 के आधार पर वादग्रस्त आराजी में से 17 बीघा 19 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी का कब्जा मानकर 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का निर्णय भी पारित किया है व प्रतिवादी का दावा स्वीकार किया है ।

18. वादी के द्वारा धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय की सहायता के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही इस बाबत् कोई तनकी कायम की गई है जबकि विधिक प्रावधानों के अनुसार यदि दौराने दावा स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लेते हैं तो इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर तनकी कायम कर दोनों पक्षों को कायम की गई तनकी पर साक्ष्य पेश करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने इन विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है । इस क्रम में अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के द्वारा आरबीजे 1998 पेज 500, आरबीजे 1998 पेज 610 उद्धरत की हैं जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय के द्वारा तनकी कायम कर तनकी पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । इस क्रम में विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आरआरडी 1990 पेज 691, आईएलआर (राज0) 1966 पेज 1216, आरआरडी 1978 पेज 217 और एआईआर 2006 पेज 200 उद्धरत की हैं और यह कथन किया है कि बिना तनकी कायम किये भी ओर बिना प्रार्थना पत्र लिये भी न्यायालय अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के तहत सहायता प्रदान करने के लिए सक्षम

है । इस क्रम में हमारा मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.12.2012 की तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर यह सहायता प्रदान की है परन्तु न तो तहसीलदार की यह रिपोर्ट प्रदर्श हुई है और न ही तहसीलदार न्यायालय में गवाह के रूप में उपस्थित हुए हैं और न ही अपीलान्ट को उनसे जिरह करने का अवसर प्रदान किया गया है जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है । मात्र तहसीलदार की इस रिपोर्ट के आधार पर सीधे ही यह विनिश्चय नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में से 17 बीघा 19 बिस्वा पर चौथमल का कब्जा है । इन परिस्थितियों में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित उद्धरित नजीरें यहॉ चस्पा नहीं होती हैं ।

19. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि वादी दुर्गाशंकर ने अपने बयान पीडब्ल्यू–1 में यह कथन किया है कि प्रतिवादी ने जबरन मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है । थाने में रिपोर्ट सही करवाई थी, थाने वालों ने प्रतिवादी को पाबन्द नहीं किया इसलिए मैंने दावा कर दिया । वादी के बयानों के आधार पर दावा दायरी की दिनांक को वादी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे के लिए दावा दायरी की दिनांक को वादी का कब्जा होना अनिवार्य है ।

20. अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये राजीनामे की तहरीर के आधार पर निर्णय पारित नहीं करने पर आपत्ति व्यक्ति की है । इस क्रम में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में चौथमल के द्वारा दिनांक 01.07.2008 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 एवं धारा 151 सीपीसी के साथ इस राजीनामे को पेश किया था । इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.10.2010 को खारिज किया गया है । यदि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्नता थी तो इसके खिलाफ सक्षम न्यायालय में रिवीजन करनी चाहिए थी । इस स्टेज पर इस बाबत् आपत्ति करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

21. जहॉ तक वसीयत का प्रश्न है, वसीयत दिनांक 06.06.1974 को कार्यालय सब रजिस्ट्रार नैनवा से पंजीकृत करवायी गई है । वसीयत के गवाह भूरा पुत्र छीतर न्यायालय में उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि वसीयत पर उन्होंने अंगूठा एवं हस्ताक्षर किये हैं। अंगूठा एवं हस्ताक्षर किशना जी के कहने से किये थे, मेरे सामने रजिस्ट्री करवायी गई है, अंगूठा तहसील के पेड से कराये थे । किशना जी ने अंगूठा हमारे तीनों के सामने लगाया था, छोटू जी मर गये हैं मुझे भूरा और भंवर लाल भी कहते हैं । यह कहना गलत है कि भूरा छीतर लाल कोई और है । इस प्रकार यह वसीयत भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रमाणित है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के द्वारा उद्धरत नजीरें आरआरडी 2015 पेज 730, आरएलडब्ल्यू 2007 पेज 637 यहॉ चस्पा होती हैं । तद्नुसार वसीयत के बाबत् तनकी प्रतिवादी चौथमल के विरूद्ध एवं वादी दुर्गाशंकर के पक्ष में तय करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है । यद्यपि विवेचना में समस्त विधिक प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया है ।

22. इन तथ्यों के आधार पर धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस प्रकारण में एक अतिरिक्त तनकी बनाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी दुर्गाशंकर पर होगा –

**'आया दौराने दावा प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर लिया है जिसको बेदखल कर पुनः कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है** – वादी ।

इस अतिरिक्त तनकी पर पवक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए निर्णय किया जाना आवश्यक है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

23. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/504 एवं 16/505 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 18 से 22 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए कायम की गई अतिरिक्त तनकी पर पक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

24. निर्णय आज दिनांक 16.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/4/19

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**